

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,

..... म.प्र. |



विषय:- जिला प्रबंधक (लोक सेवा) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

1. अ. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में) :.....
ब. अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :.....
2. लिंग-पुरुष/महिला :.....
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित :.....
4. अ. पत्र व्यवहार का पता :..... (पिन कोड सहित)
ब. मथाई पता :..... (पिन कोड सहित)
स. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :.....
5. जन्म तिथि..... वर्ष..... माह..... दिन.....
(10+2 परीक्षा के प्रमाण-पत्र के आधार पर)
शब्दों में.....
6. दिनांक 01.01.2023 को आयु : वर्ष..... माह..... दिन.....
7. क्या म.प्र. शासन के किसी विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा कर्मचारी हैं :.....
8. क्या म.प्र. के मूल निवासी हैं :..... (हाँ/नहीं)
(चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)
9. शैक्षणिक योग्यता :

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	10th				
2.	हायर सेकेंडरी (10+2)				
3.	स्नातक				
4.	स्नातकोत्तर				
5.	एमबीए				
6.	कंप्यूटर डिप्लोमा				
7.					

10. कार्य अनुभव के विवरण - इस सम्बन्ध में आवश्यक सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

:: घोषणा-पत्र ::

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

// अनुबंध //

मैं पिता/पति पद जिला प्रबंधक (लोक सेवा) दिनांक को जिला कलेक्टर, जिला जबलपुर के पक्ष में निम्नानुसार करारनामा करता/करती हूँ। प्रस्तुत करारनामा दिनांक से तक के लिये लागू रहेगा।

1. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति को संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।
2. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के एक सप्ताह की अवधि में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. संविदा नियुक्ति के पूर्व मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दिशा में नियुक्ति अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जाएगी।
5. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा।
6. जिला प्रबंधक (लोक सेवा) को संविदा अवधि के दौरान रु. 35000/- प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। मंहगाई एवं अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।
- 7.1 वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात् कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिए होगी।
- 7.2 3 वर्ष के पश्चात आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समय विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि करने या नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा।
- 7.3 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में शासन द्वारा दिए गये निर्देशानुसार वृद्धि की जाएगी।
8. ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।
9. (क) आकस्मिक अवकाश- संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

- (ख) चिकित्सा अवकाश - संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।
- (ग) प्रसूति अवकाश-संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश की पात्रता मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा। प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना पारिश्रमिक के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा। (केवल महिला अभ्यर्थी की स्थिति में यह कडिका जोड़ी जाए)
- (घ) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्त प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
12. जिला प्रबंधक (लोकसेवा) का जॉब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
13. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
14. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
15. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) को द्वितीय श्रेणी के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा।
16. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रुपये 250/- तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीनता करने का लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से

अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निमित्त होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

17. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोकसेवा) बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बताए नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी।
18. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि पात्रता होगी।
19. संविदा पर नियुक्त जिला प्रबंधक (लोक सेवा) भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
20. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएँ निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी।
21. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय बंधनकारी होगा।

1. प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर.....

नाम:

पदनाम: कलेक्टर, जबलपुर

1. प्रथम साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम:

पता:

2. द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर.....

नाम:

पदनाम: जिला प्रबंधक (लोक सेवा)

2. द्वितीय साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम:

पता: